रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117] दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 10, 2014/भाद्र 19, 1936 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 95

No. 117] DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 2014/BHADRA 19, 1936 [N.C.T.D. No. 95

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस – II) विभाग

(कार्यालय उपायुक्त पुलिसः यातायातः मुख्यालयः)

अधिसूचना

दिल्ली, 10 सितम्बर, 2014

सं. फा./20/4/2003/गृ.पु.–II/7218.— क्योंकि नरेला मार्किट रोड (स्वामी स्वरूपा नन्द मार्ग) पर नई अनाज मण्डी से राजदेव चौक की तरफ यातायात के सुगम प्रवाह, और सड़क प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक है ।

और क्योंकि यातायात की सघनता की समस्या के कारण सड़क प्रयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए उपरोक्त मार्ग पर यातायात के प्रवाह को नियंत्रित करना आवश्यक है ।

अतः मैं, आर. के. झा. उपायुक्त पुलिस यातायात, मुख्यालय दिल्ली, दिल्ली में सड़कों व गलियों पर वाहन व अन्य यातायात नियम 1980 की धारा 21 जिसके अन्तर्गत मुझे अधिकार प्राप्त हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा नरेला मार्किट रोड (स्वामी स्वरूपा नन्द मार्ग) पर नई अनाज मण्डी से रामदेव चौक की तरफ सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों के लिए अगले आदेश तक एक तरफा मार्ग की घोषणा करता हूँ ।

यह आदेश प्रत्येक दिन 24 घंटे लागू रहेगा ।

सामान्य जनता के सूचनार्थ इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा समस्त जिला पुलिस उपायुक्त तथा तमाम थानों दिल्ली/नई दिल्ली के सूचना पट्टों पर इसकी एक प्रति चिपकाई जायेगी ।

सम्बंधित अधिकरण एवम् सड़क रख-रखाव प्राधिकरण जन साधारण के सूचनार्थ एवम् सुविधा हेतु आवश्यक संकेत पट्ट प्रतिबंधित संकेत को इंगित करते हुए लगायेंगे ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनाँक 10-9-2014 को जारी किया गया ।

आर. के. झा, उपायुक्त पुलिस

HOME (Police-II) DEPARTMENT

(OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE: TRAFFIC: HDQRS.)

NOTIFICATION

Delhi, the 10th September, 2014

F.No. 20/4/2003/HP-II/7218.—Whereas, it is necessary to ensure smooth flow of traffic and prevent congestion and to avoid inconvenience to motorists and other road users on Narela Market Road (Swami Swaroopa Nand Marg) from New Anaj Mandi upto Ramdev Chowk.

And whereas in view of the problem of traffic congestion, it is necessary to regulate the movement of traffic on above road for the convenience & safety of road users.

Now, therefore, I, R.K. Jha, Deputy Commissioner of Police, Traffic, Headquarters, Delhi in exercise of the powers, conferred upon me under Regulation 21 of the Delhi control of Vehicular and Other Traffic on Roads and Street Regulations, 1980 do hereby declare the stretch of Narela Market Road (Swami Swaroopa Nand Marg) from Anaj Mandi upto Ramdev Chowk "One way" for all types of commercial vehicles till further order.

This prohibitory order will apply throughout the day i.e. 24 hours of everyday.

This order shall be published for the information of the general public in the official gazette and by affixing a copy on the notice boards of the office of all District Deputy Commissioner of Police and all Police Stations in Delhi/New Delhi.

The concerned civic road agencies maintaining the roads/areas shall erect the corresponding informatory signboards indicating the restrictions in the area for the guidance and convenience of the concerned.

This order shall come into force with immediate effect.

Given under my hand and seal of this office on 10-9-2014.

R.K JHA, Dy. Commissioner of Police

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 सितम्बर, 2014

सं.फा. 82(265)/एडी–III/संशों.पीडब्ल्यूडी एक्ट/स.क.वि./09/पार्ट–1/10541-566.—दिनांक 06.09.2011 की अधिसूचना सं.फा. 82(265)/एडी–III/संशो.पीडब्ल्यूडी एक्ट/स.क.वि./09/9261–284 के क्रम में और निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (त) के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (न) में यथोल्लिखित निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिये अधिसूचित अस्पतालों की सूची में जिलेवार निम्नलिखित अस्पतालों को सम्मिलित/पुनःक्रमित करने के लिये तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित निःशक्तता के प्रकार के लिये चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में नीचे दी गई तालिका के कॉलम 3 में उल्लिखित अस्पतालों/संस्थाओं को नामित करने के लिये तथा चिकित्सा अधिकारी की ओर से निःशक्तता प्रमाण–पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये कॉलम 4 में यथोल्लिखित अस्पतालों/संस्थानों के चिकित्सा अधिकारी को पुनः प्राधिकृत करते हैं।

क्र. स.	निःशक्तता का प्रकार	कॉलम 2 में उल्लिखित निःशक्तता के लिये "चिकित्सा प्राधिकरण" के तौर पर अधिसूचित किए जा रहे अस्पताल/संस्थान	जिला	कॉलम 3 में उल्लिखित अस्पताल/संस्थानों में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सक्षम है।	कथन
1	2	3	4	5	6
1	(i) अंगविच्छेदन, अंगों के पूर्ण स्थाई पक्षाघात से चलने–फिरने की	लोक नायक अस्पताल	नई दिल्ली	(i) अंगविच्छेदन निःशक्तता तथा अंधता की स्थिति में संबंधित विशेषज्ञता का एक विशेषज्ञ चिकित्सक	—

	निःशक्तता, अंधता (ii) विकलांगता, हड्डी रोग, नेत्र, कान, नाक, गला से संबंधित विभिन्न प्रकार की निःशक्तता			(ii) विभिन्न प्रकार की निःशक्तता की स्थिति में सम्बद्ध निःशक्तता के लिये संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सकों को शामिल कर बहु सदस्य बोर्ड	
2	– वही –	अरूणा आसफ अली सरकारी अस्पताल	मध्य	– वही –	
3	– वही –	हिन्दु राव अस्पताल सत्यवादी राजा हरीशचन्द्र अस्पताल	उत्तर	– वही –	
4	– वही –	जग प्रवेश चन्द्र अस्पताल, शास्त्री पार्क गुरू तेग बहादुर अस्पताल, दिलशाद गार्डन	उत्तर पूर्व	– वही –	
5	– वही –	पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल	दक्षिण	– वही –	
6	– वही –	गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल	पश्चिम	– वही –	
7	– वही –	दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल राव तुला राम मैमोरियल अस्पताल	दक्षिण पश्चिम	– वही –	
8	– वही –	डॉ. हेडगेवार आरोग्य संस्थान, कड़कड़डूमा लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, खिचड़ी पुर स्वामी दयानन्द अस्पताल, शाहदरा	पूर्व	– वही –	
9	– वही –	संजय गांधी मैमोरियल अस्पताल, मंगोलपुरी महर्षि वाल्मिकी अस्पताल, पूठ खुर्द बाबू जगजीवन राम मैमोरियल अस्पताल, जहांगीर पुरी	उत्तर पश्चिम	– वही –	
10	– वही –	सफदंजग अस्पताल	दक्षिण पूर्व	– वही –	
11	– वही –	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल, रोहिणी भगवान महावीर अस्पताल, पीतम पुरा	बाहरी	– वही –	

नोटः— यदि संबंधित क्षेत्र का कोई पदनामित अधिकारी, जो निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत है, छुट्टी पर है या उपस्थित नहीं है तो संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। चिकित्सा अधीक्षक यथासंशोधित दिल्ली निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियमावली, 2011 के नियम 4 में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने को सुनिश्चित करेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
गरिमा गुप्ता, निदेशक

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 10th September, 2014

F.No. 82(265)/AD-III/Amendment PWD Act./DSW/09/pt.-1/10541-566.—In continuation of Notification No F. 82(265)/AD-III/Amendment PWD Act./DSW/09/9261-284 dated 06/09/2011 and in pursuance of the provisions of clause (p) of section-2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996), the Lt. Governor of NCT of Delhi is pleased to include/rearrange the following hospitals District wise in the list of Hospitals notified for issuance of certificates of disability as mentioned in clause (t) of section 2, of the said Act, designate the hospitals and institutions mentioned in Column 3 of the table given below, as 'medical authorities' for the types of disabilities mentioned in column 2 thereof, and further authorize the Medical Officers of the hospitals/institutions as mentioned in column 4 to sign the disability certificates on behalf of the medical authority.

Sl.No	Types of Disability	Hospital/Institution being notified as "Medical Authority" for disabilities mentioned in column no. 2.	District	Medical officers working in the Hospital/ Institution mentioned in column 3 competent to issue certificate of disability.	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	(i) locomotor disability by way of amputation complete permanent paralysis of limbs, Blindness. (ii) Multiple disabilities relating to Orthopedics, Medicine, Eye and ENT.	Lok Nayak Hospital	New Delhi	(i) Single Specialist doctor of the concerned specialty in case of locomotor disability and Blindness. (ii) Multi Member Board comprising specialist doctors pertaining to the concerned disability in case of Multiple disabilities.	
2.	-do-	Aruna Asaf Ali Govt. Hospital	Central	-do-	
3.	-do-	i. Hindu Rao Hospital ii. Satyawadi Raja Harish Chandra Hospital	North	-do-	
4,	-do-	i. Jagpravesh Chandra Hospital, Shastri Park, ii. Guru Teg Bahadur Hospital, Dilshad Garden	North East	-do-	
5.	-do-	iii. Pt. Madan Mohan Malviya Hospital	South	-do-	
6.	-do-	i. Guru Govind Singh Hospital ii. Sardar Vallabh Bhai Patel Hospital	West	-do-	
7.	-do-	iii. Deen Dayal Upadhyaya Hospital iv. Rao Tula Ram Memorial Hospital	South-West	-do-	
8.	-do-	v. Dr. Hedgewar Aroya Sansthan, Karkardooma vi. Lal Bahadur Shastri Hospital, Khichripur vii. Swami Dayanand Hospital, Shahdara	East	-do-	

9.	-do-	viii. Sanjay Gandhi Memorial Hospital, Mangolpuri ix. Maharishi Valmiki Hospital, Pooth Khurd x. Babu Jagjiwan Ram Memorial Hospital, Jahangirpuri	North West	-do-	
10.	-do-	xi. Safdarjung Hospital	South East	-do-	
11.	-do-	xii. Dr. Baba Saheb Ambedkar Hospital, Rohini xiii. Bhagwan Mahavir Hospital, Pitampura	Outer	-do-	

Note : If a designated doctor of concerned field who has been authorized to issue disability certificate is on leave or is not present, a suitable alternative arrangement will be made by the Medical Superintendent of the concerned hospital. The Medical Superintendent will ensure the issuance of disability certificate within the time period specified in rule 4 of Delhi Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules 2011 as amended.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of Delhi,

GARIMA GUPTA, Director

3599DG/14-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.